संख्या- 19/2015/381/71-आयुष-2-2015-09(बी)/2007 टी0सी0

प्रेषक,

नीलेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ00,
लखनऊ

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज अलीगढ़ के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/प्लान/14-15/4093, दिनांक 25.03.15 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-214/71- आयुष-2-2015-9 (बी0)/07टी0सी0, दिनांक 11.03.2015 द्वारा अनुदान संख्या-83-आयोजनागत के अन्तर्गत रूपये 1253;45 लाख एवं शासनादेश संख्या-257/71- आयुष-2-2015-9 (बी0)/07टी0सी0, दिनांक 20.03.2015 द्वारा अनुदान संख्या-34 -आयोजनागत के अन्तर्गत रू 510;43 लाख की वित्तीय स्वीक़ति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 970.21 लाख में से रू 229;89 लाख (रूपया दो करोड उन्नतीस लाख नवासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है। प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य से स्वीक़त की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. प्रयोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूर्ण कराया जायेगा।
3. प्रयोजना के कार्यान्वयन एवं कार्य की गुणवत्ता आदि का दायित्व निदेशक, होम्योपैथी/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. प्रयोजना प्रस्ताव/ आगणन में कोटेशन/बाजार दरों पर आधारित कार्य मदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कराया जाय।
6. प्रश्नगत कार्य हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.10.2014 में दिये गये पूर्ण अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।
7. प्रस्तावित बॉट आउट आइटम्स श्रेणी के कार्यमदों का व्यय सुसंगत वित्तीय व्यय के अधीन किया जायेगा।
8. उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.7.2014 में निर्धारित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34- लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-09-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22;07;2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:- 19/2015/381 (1)/71-आयुष-2-2015/ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, अलीगढ़।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक/महाप्रबन्ध सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0, जल निगम , लखनऊ ।
5- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अलीगढ़।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।